भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3443
जिसका उत्तर मंगलवार 7 अगस्त, 2018 को दिया जाना है

एचएमटी के कर्मचारियों को पेंशन

3443. डॉ शशि थरूर:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हिंदुस्तान मशीन टूल्स कलामस्सेरी के 1058 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन योजना प्रदान करने के लिए केरल के मुख्यमंत्री से पत्र प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख क्या सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को अलग से पेंशन योजना प्रदान करने या उन्हें भूतलक्षी प्रभाव से कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत लाने का मुख्यमंत्री का सुझाव स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): जी हां।

(ख) से (घ): वर्ष 1995 में सरकार के अनुदेशों के अनुसार कंपनी ने एक पारिवारिक पेंशन योजना आरंभ की गई थी और सभी कर्मचारियों को इस योजना को चुनने का अवसर दिया गया था। जिन कर्मचारियों को इस योजना को चुना वे योजना के सदस्य बन गए। जिन कर्मचारियों ने इस योजना को नहीं चुना उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया गया और इसलिए, वे पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं थे।

तथापि, एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड पेंशन के लिए कोई समग्र निधि बनाने की स्थिति में नहीं है क्योंकि यह पिछले कई वर्षों से घाटे में चल रही है। इसके अतिरिक्त, पेंशन योजना को केवल कलामस्सेरी यूनिट में ही आरंभ नहीं किया जा सकता। इसे इसकी सभी यूनिटों में एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा और कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए किसी पेंशन योजना का वित्तीय भार वहन करने की स्थिति में नहीं है।

*****